मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ के आदेश के अनुपालन में फार्मेसी संस्थाओं में प्रवेश हेतु विशेष काउन्सिलिंग में अतिरिक्त (सातवे चरण) की काउन्सिलिंग का शिड्यूल

Sl.No.	Counseling Activities	Date
1.	Choice Filling for All Candidates (for Qualified Candidates of UP & others State)	22-12-2023 to 25-12-2023
2.	Seat Allotment	26-12-2023 (upto 1:00 PM)
3.	All Allotted Candidates are Freeze and Online Fee Deposit for Seat Acceptance Fee	26-12-2023 from 2:00 PM to 29-12-2023 (up to 5:00 PM)
4.	Document Verification at District Help Centre	26-12-2023 from 2:00 PM to 29-12-2023 (up to 5:00 PM)
5.	Balance Fee Deposit	27-12-2023 to 29-12-2023 (up to Mid night 11:59 PM)
6.	Seat Withdrawl	30-12-2023 (up to 5:00 PM)
7.	Reporting in Allotted Institutions	31-12-2023
8.	Commence of Classes for session for 2023-24	01-01-2024

नोट :–

1. माननीय उच्च न्यायलय मे योजित वादों/विशेष अपील में पारित आदेशों के क्रम मे कुल 480 फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाओं में से 351 संस्थाओं में प्रवेश हेतु अतिरिक्त/विशेष काउन्सिलिंग दिनांक 16.12.2023 से 26.12.2023 मे मध्य प्रचालित है, जबकि 129 ऐसी संस्थाएं जिनको तकनीकी कारणोंवश उपरोक्तानुसार प्रचालित चरण में नहीं जोड़ा जा सका है, को सम्मिलित करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2023 तक पारित आदेशों के अनुपालन में पूर्व की 351 संस्थाओं सहित ऐसी लगभग 615 संस्थाओं को उपरोक्त शिड्यूल के अनुसार काउन्सिलिंग में सम्मिलित/प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
2. विशेष काउन्सिलिंग के अतिरिक्त (सातवें) चरण में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी को पोर्टल पर प्रदर्शित संस्थाओं के विकल्प भरने होंगे, तद्नुसार अभ्यर्थी पूर्व में भरे गये विकल्पों को संशोधित कर अद्यतन कर लें।
3. विशेष काउन्सिलिंग के अतिरिक्त (सातवें) चरण में डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में सहायता केन्द्रों पर ही किया जायेगा।
4. विशेष काउन्सिलिंग के अतिरिक्त (सातवें) चरण की काउन्सिलिंग में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2023 में सम्मिलित हुए हैं और विशेष काउन्सिलिंग के अतिरिक्त (छठें) चरण तक किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं ले पाये है।
5. विशेष काउन्सिलिंग के अतिरिक्त (सातवें) चरण की काउन्सिलिंग में उत्तर प्रदेश एवं उ0प्र राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी (Other State Candidates) काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
6. विशेष काउन्सिलिंग के अतिरिक्त (सातवें) चरण की काउन्सिलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तों निर्धारित तिथियों तक डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना तथा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन तथा तत्पश्चात निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो वह प्रवेश हेतु अपात्र होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, अतः अभ्यर्थी केवल वही विकल्प भरें जिसमें वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हों।
7. डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निजी क्षेत्र की लगभग कुल 615 फार्मेसी संस्थाओं में आवंटित अभ्यर्थी अपने लॉगिन से सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क रु0 3250/– तथा आवशेष शिक्षण शुल्क निधारित अंतिम तिथि तथा समय तक पोर्टल https://jeecup.admissions.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेगें। यदि जमा करने के उपरान्त शेष प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं तो अभ्यर्थी द्वारा जमा सीट एक्सेप्टेंस एवं काउन्सिलिंग शुल्क नियमानुसार वापस नहीं होगा।
8. अभ्यर्थियों को फीस वापसी हेतु दी गयी विदड्राल की सुविधा के अन्तर्गत निर्धारित तिथि में ही सीट विदड्राल करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी शुल्क की धनराशि वापस किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं होगा।

21/12/23